बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 223013 पटना, दिनांक 04/03/15

ग्रा.वि.-14(म0)न0- 02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, वारसलीगंज, नवादा।
सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चंपारण।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप वारसलीगंज प्रखंड (जिला-नवादा) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
2524.96	₹ 2611219.20/-

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 2524.96 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अत: आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं आपका उत्तरदायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक- यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 3/3/15
(प्रदीप कुमार)
सचिव

जिला :– नवादा।

प्रखण्ड :– वारिसलीगंज **30%**

क्र0	पंचायत का नाम	वर्ष	प्र0वि0पदा0 का नाम	मुखिया का नाम	पंचायत सचिव का नाम	ज0वि0प्रा0 विक्रेता का नाम	प्राप्त आवंटन की मात्रा	उठाव की गई खाद्यान की मात्रा	वितरित खाद्यान की मात्रा	अवशेष खाद्यान की मात्रा	प्रति क्वि0 दर	कुल वसूलनी राशि	वसुल की गई राशि	अवशेष राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		2003-04	सत्यनारायण मंडल			उर्मिला देवी	1000	580	541.31	38.69	13.70	53005.30	0.00	53005.30	
		2004-05	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा				1400	439.76	0.00	439.76	13.70	602471.20	592596.00	9875.20	
		2005-06	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा				680	680	0	680.00	13.70	931600.00	0.00	931600.00	
2		2003-04	सत्यनारायण मंडल			प्रा0कृ0स0स0 माफी	1305	1305	1305.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	
		2004-05	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा				1492	494.68	452.68	42.00	13.70	57540.00	57540.00	0.00	
3		2004-05	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा			कार्यानन्द प्रसाद सिंह	522	329.91	0.00	329.91	13.70	451976.70	0.00	451976.70	
		2005-06	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा				500	500	0.00	500.00	13.70	685000.00	0.00	685000.00	
4		2005-06	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा			अक्लु मांझी	500	500	5.40	494.60	13.70	677602.00	197840.00	479762.00	
कुल :–							**7399**	**4829.35**	**2304.39**	**2524.96**	**13.70**	**3459195.20**	**847976.00**	**2611219.20**	